पर्यावरण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नईदिल्ली–110002

फा. सं० 10(15)/पर्यावरण/2022/8947-50 दिनांक : 26/03/2022

सेवा में,

श्रीमान उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषय : **विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 125 दिनाँक 28.03.2022 के लिए**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त उद्धृत विषयानुसार संदर्भ पत्रांक संख्या सं.एफ.11(बी–1) VI/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./3159 दिनाँक 17.03.2022, इस कार्यालय से संबंधित एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह विषय माननीय मंत्री (पर्यावरण) / सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमोदित/स्वीकृत है।

भवदीय,

चेतना

(डॉ चेतना आनंद)
वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण

संलग्नः– उत्तर की प्रतियां (संख्या 100)

फा. सं० 10(15)/पर्यावरण/2022/8947-50 दिनांक : 26/03/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. सचिव, माननीय मंत्री (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
2. निजि सचिव, सचिव (पर्यावरण एवं वन्य विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 **(संलग्न 150 प्रश्न–उत्तर की प्रतिया)।**

चेतना

(डॉ चेतना आनंद)
वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण

Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing
Delhi Sectt. Delhi-02

पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
छठा तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय
आई.पी.स्टेट, नई दिल्ली-110002

अताराकिंत प्रश्न संख्या : **125**
दिनांक : **28.03.2022**
प्रश्नों की संख्या : श्री अजय महावर

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
क)	भूमि का पानी पार्कों की सिंचाई के उपरांत भूमि में ही समाहित हो जाने के बावजूद भूमिगत सबमर्सिबल बन्द किए जाने के क्या कारण है, इस सबमर्सिबल को पुन: खोलने की क्या प्रक्रिया है;	ओ. ए. संख्या 386/2017 "रियर एडमिरल ए पी रेवी आईएन (सेवानिवृत्त) बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य।" में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 25.02.2021 के आदेश के अनुसार पार्कों में केवल उपचारित पानी (एसटीपी आदि से) का उपयोग किया जाना है और सार्वजनिक पार्कों में ताजे पानी का उपयोग बागवानी के लिए नहीं किया जाना है। ओ. ए. संख्या 06/2012 में एमए संख्या 25/2021, "मनोज मिश्रा बनाम दक्षिण दिल्ली नगर निगम और भारत संघ और अन्य" मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 26.03.2021 के संबंध में यह निर्णय किया गया कि दिल्ली में उपचारित अपशिष्ट के इष्टतम उपयोग के लिए एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें दिल्ली के सभी पार्कों और उद्यानों के कवरेज सहित बागवानी के प्रयोजन के लिए उपचारित पानी का अधिकतम उपयोग शामिल होना चाहिए, ताकि इस प्रयोजन के लिए बोरवेल के माध्यम से निष्कासित कीमती भूजल का पुनर्भरण किया जा सके। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड को प्रत्येक पार्क तक पाइप नेटवर्क उपलब्ध कराते हुए, पूरी योजना का सर्वेक्षण, डीपीआर तैयार करने, लागत अनुमान आदि कार्य सौंपे गए। तदनुसार, दिल्ली जल बोर्ड-डीजेबी ने मैसर्स वैपकोस (M/s WAPCOS) को हितधारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी पार्कों तक पाइप लाइन नेटवर्क के माध्यम से फीडिंग के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मैसर्स वैपकोस सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। इसलिए भूमिगत बोरवेल को बंद कर दिया गया है, ताकि भूजल पर निर्भरता कम हो और ऐसे भूमिगत बोरवेल खोलने का कोई

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

		प्रावधान नही है।
ख)	दिल्ली में कितने एन्टी स्मॉग टावर और स्मॉट गन लगाये गए है तथा इसमें से घोंड़ा विधानसभा में कितने लगे हैं।	**स्मॉग टावर संस्थापित** रिट याचिका (सिविल) 13029/1985, शीर्षक-"एम सी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य" के संदर्भ में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश, दिनांक 13.11.2019, के अनुपालन में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टॉवर स्थापित किया है। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा आनंद विहार बस टर्मिनल पर अन्य स्मॉग टॉवर भी लगाया गया हैं। घोंडा विधान सभा में कोई स्मॉग टॉवर नहीं लगाया गया है। **एंटी स्मॉग गन संस्थापित** धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए व्यापक निर्माण स्थलों **(>20000 Sq mt built up area)** पर लगभग 65 एंटी स्मॉग गन संस्थापित की गई हैं।
ग)	घोंड़ा विधानसभा में और कितनी स्मॉग गन लगेंगी और कब तक लगेंगी।	पूर्वी दिल्ली नगर-निगम द्वारा घोंड़ा विधानसभा क्षेत्र में एंटी स्मॉग गन लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
घ)	दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और अन्य राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने हेतु क्या उपाए किए गए।	क. रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे नियमित उपाय इस प्रकार है:- 1. **निरंतर वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी (Continuous Real time Air Quality Monitoring):** रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने पिछले एक दशक में 24 स्टेशनों से मिलकर निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक व्यापक स्थानिक नेटवर्क स्थापित किया है। इन स्टेशनों से उत्पन्न डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। 2. **व्यापक कार्य योजना** (CAP): ओ.ए. संख्या **681/2018,** श्री विश्व मोहन द्वारा लिखित और **"NCAP with Multiple Timelines to clear Air in 102 Cities to be released around August 15"** शीर्षक से टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार आइटम के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने दिनांक **08.10.2018** के आदेश में दिल्ली के संबंध में वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (एक्यूएमसी) के गठन का निर्देश दिया था ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कार्य योजना और

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

		वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए रणनीति तैयार की जा सके। उक्त योजना में जीआरएपी (Graded Response Action Plan) लागू करने का भी प्रावधान है। पर्यावरण विभाग और अन्य हितधारकों द्वारा सीएपी कार्यान्वित की जा रही है और तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से सीपीसीबी को प्रस्तुत की जाती है। 3. **स्मॉग टॉवर की स्थापना:** माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2020 के अनुपालन में, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टॉवर 23.08.2021 को स्थापित और चालू किया गया है। 4. **दिल्ली में उन्नत वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए वास्तविक समय आधार पर स्रोत विभाजन और पूर्वानुमान :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आईआईटी-कानपुर के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम द्वारा "दिल्ली में उन्नत वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए वास्तविक समय आधार पर स्रोत विभाजन और पूर्वानुमान" ("Real-Time Source Apportionment and Forecasting for Advance Air Pollution Management in Delhi") शीर्षक से एक अध्ययन को मंजूरी प्रदान की है। इसका लक्ष्य एक व्यापक वैज्ञानिक डेटाबेस विकसित करने के लिए दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान करना है ताकि संकेन्द्रित और उद्देश्यपूर्ण निर्णय किए जा सके। दिल्ली में वास्तविक समय आधार पर स्रोत विभाजन और पूर्वानुमान के बारे में अध्ययन निष्पादित करने के लिए आईआईटी कानपुर के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ **22.10.2021** को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और अध्ययन कार्यान्वित किया जा रहा है। अध्ययन की अवधि **23** महीने है। 5. **वायु प्रदूषण स्रोतों पर स्रोत स्तर पर नियंत्रण**: तेरह हॉटस्पॉट नामत: नरेला, बवाना, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, आर.के. पुरम, ओखला, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, पंजाबी बाग, मायापुरी, विवेक विहार और द्वारका की पहचान दिल्ली में **PM2.5** और **PM10** के वार्षिक संकेन्द्रण के आधार पर की गई और प्लास्टिक कचरे को हटाने जैसे विशिष्ट शमन उपायों पर कार्रवाई की जा रही है। कचरा, मलबा/निर्माण और विध्वंस के साथ-साथ सड़क के पैच और गड्ढों की मरम्मत, भीड़भाड़ वाले यातायात बिंदुओं की वाहनों की भीड़ हटाना, सड़कों की यांत्रिक सफाई और पानी का छिड़काव, प्रदूषित और

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

अनधिकृत उद्योगों को बंद करना, बायोमास जलाने आदि के संदर्भ में उल्लंघन की जांच के लिए रात के समय गश्त की व्यवस्था करना, आदि उपाय सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे हैं। प्रत्येक हॉटस्पॉट के नोडल अधिकारी संबंधित नगर निगमों के उपायुक्त होते हैं और स्थानीय शमन कार्रवाई करने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जाता है और वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार स्थानीय कार्यों को फिर से जीवंत करने के लिए दैनिक निगरानी की जाती है और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त उपाय भी अपनाए जाते हैं। इसके अलावा, पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार की योजना "प्रदूषण हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण नियंत्रण" के तहत, आकस्मिक वायु प्रदूषण की स्थिति के दौरान लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लक्षित प्रस्ताव लागू करने के लिए गैप फंडिंग योजना का प्रस्ताव किया गया है।.

6. **एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में सड़क धूल प्रबंधन, प्रकीर्ण स्रोतों से वायु प्रदूषण उपशमन, सुरक्षा और प्रवर्तन, हरियाली और यात्रा प्रबंधन के बारे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और परामर्श का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और हितधारक विभागों के समन्वय में कार्रवाई की रिपोर्ट संकलित की जा रही हैं। इस दिशा में की गई प्रमुख कार्रवाइयां नीचे दी गई हैं:

क) रा.रा.क्षे. दिल्ली में धान की फसल के अवशेष/पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सीएक्यूएम के फ्रेमवर्क और निर्देशों के अनुसार व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।

ख) निर्माण और विध्वंस वेब पोर्टल का विकास-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर और उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के निर्माण और विध्वंस स्थलों के स्व-मूल्यांकन के लिए धूल प्रदूषण नियंत्रण 07.09.2021 को शुरू किया गया था। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि निर्माण गतिविधियां धूल कम करने के उपायों का आकलन और उपाय करेंगी और नियामक

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

एजेंसियों को बेहतर नियंत्रण और निगरानी में मदद करेंगी। 28.02.2022 तक पोर्टल पर 584 साइट पंजीकृत की गई हैं।

ग) सड़क स्वामित्व/निर्माण एजेंसियों द्वारा धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं और उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर निगरानी रखी गई है तथा आयोग को पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट भेजी जाती है।

घ) 15 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तथा पाक्षिक आधार पर आयोग को रिपोर्ट भेजी जाती है।

ङ) निर्माण और विध्वंस स्थलों का कड़ाई से निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण डेटा पाक्षिक आधार पर आयोग को भेजा जाता है।

च) उद्योगों में केवल स्वीकृत ईंधनों के उपयोग पर निगरानी की जा रही है और नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं तथा कार्रवाई रिपोर्ट पाक्षिक आधार पर आयोग को भेजी जाती है।

छ) वायु प्रदूषण से निपटने और उसे कम करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में निम्नांकित कार्रवाई बिन्दुओं पर, सीएक्यूएम द्वारा "सुरक्षा और प्रवर्तन" के लिए तैयार किए गए व्यापक प्रारूप में द्विमासिक कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को नियमित रूप से भेजी जा रही है:

i. वाहन प्रदूषण
ii. सेनिटरी लैंडफिल स्थलों (एसएलएफ) पर आग
iii. बायोमास/नगरीय ठोस कचरा जलाना
iv. सड़क धूल
v. निर्माण धूल
vi. हरियाली

ज) `"दिल्ली-एनसीआर में प्रचलित वायु गुणवत्ता परिदृश्य के मद्देनजर वायु प्रदूषण पर कारगर ढंग से नियंत्रण के उपाय" के संबंध में आयोग द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों पर की गई कार्रवाई/स्थिति रिपोर्ट आयोग को भेजी जा रही है। सीएक्यूएम के दिनांक 02.12.2021 के आदेश के अनुपालन में सीएक्यूएम द्वारा जारी विभिन्न वैधानिक निर्देशों और आदेशों के कार्यान्वयन, प्रवर्तन, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

		(पर्यावरण और वन), रा.रा.क्षे.दि.स., की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया है। झ) पाक्षिक आधार पर नगर निगम के ठोस अपशिष्ट और बायोमास को खुले में जलाने और सैनिटरी लैंडफिल साइटों में आग लगने की घटनाओं के संबंध में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजी जा रही है। ञ) माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को ली गई बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पाक्षिक आधार पर आयोग को भेजी जा रही है। **7.** विभिन्न स्थानीय निकायों को निर्माण स्थलों और सड़क के धूल भरे पैचों पर डस्ट सप्रेसेंट (dust suppressant) का उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। **8.** सड़क पर धूल के पुन: निलंबन को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निकायों और लोक निर्माण विभाग द्वारा वाटर स्प्रिंकलर (372 संख्या) और मैकेनिकल रोड स्वीपर (69 संख्या) का उपयोग किया जा रहा है।. **9. पीएनजी में रूपांतरण: औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण** डीपीसीसी ने औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी चिन्हित **1636** औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में बदलने के लिए कदम उठाए थे। चिन्हित उद्योगों में पीएनजी के उपयोग की जांच के लिए नियमित निरीक्षण किया गया। सभी चिन्हित **1636** उद्योग पीएनजी में परिवर्तित हो गए हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (Online Continuous Emission Monitoring Systems) की स्व-मूल्यांकन स्थापना अनिवार्य और सुनिश्चित की गई है। प्रदूषण की संभावना वाली औद्योगिक इकाइयों की लगातार निगरानी की जा रही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। **10. एंटी-स्मॉग गन का उपयोग:** 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रों वाले निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश/तंत्र 16 सितंबर, 2021 को जारी किए गए थे। ऐसे सभी निर्माण

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of Delhi

		और विध्वंस स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) की स्थापना सुनिश्चित की गई है। प्रमुख धूल प्रदूषण क्षमता वाले 65 प्रमुख निर्माण स्थलों का मानचित्रण किया गया है और उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। मानदंडों का उल्लंघन करने वाली साइटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। **11. वाहन प्रदूषण नियंत्रण उपाय** i. **दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाले वाणिज्यिक वाहनों पर प्रभार:** माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन में, दिल्ली जाने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक माल वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क (Environment Compensation Charge) लगाया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और परिवहन विभाग और दक्षिणी दिल्ली निगर निगम द्वारा लागू की जा रही हैं। ii. **सार्वजनिक परिवहन का विस्तार:** वर्तमान में, सिटी बस बेड़े में 6960 बसें (3760 डीटीसी + 3200 क्लस्टर बसें) शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 800 मिनी बसों और 174 मेट्रो फीडर बसों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। iii. **इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन:** दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को कैबिनेट के दिनांक 23.12.2019 के निर्णय द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद परिवहन विभाग द्वारा 07.08.2020 को अधिसूचित किया गया था। नीति का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना और निम्नलिखित उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से त्वरित गति से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है: क) वित्तीय प्रोत्साहन - खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज सब्सिडी। ख) रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ ग) चार्जिंग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों के

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

		नेटवर्क की स्थापना। अपेक्षित अधिसूचना जारी करना वर्तमान में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। 28.02.2022 तक (ईवी पोर्टल "ev.delhi.gov.in" के अनुसार) 191 ईवी स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। घ) स्विच दिल्ली अभियान 04.02.2021 को शुरू किया गया था. iv रा.रा;क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के दिनांक 25.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत ई वाहन अपनाने को अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए अपने मौजूदा किराए के पेट्रोल / डीजल / सीएनजी वाहनों को छह महीने के भीतर लीज/हायरिंग मॉडल के माध्यम से ईवी में स्थानांतरित करना अथवा कंडेम वाहनों के बदले नए वाहन खरीदना अनिवार्य है। v **निजी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना:** दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति में निजी के साथ-साथ सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने का प्रावधान है। इस संबंध में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किराना स्टोर जैसे निजी और अर्ध-निजी परिसरों में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली ईवी नीति के तहत 6000/- रुपये प्रति निजी चार्जिंग पॉइंट तक उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। vi माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने हेतु लक्षित कार्रवाई की जा रही है। vii प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) के लिए प्रतिदिन 7000 से अधिक वाहनों की जांच की जा रही है। viii **मसौदा ई-वाहन एग्रीगेटर अधिसूचना**: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचना का मसौदा जनता की राय/सुझाव जानने के लिए जारी किया गया है। प्रस्तावित अधिसूचना का लक्ष्य परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को यह निर्देश देना है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता (जैसे, खाद्य वितरण, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रदाता, कूरियर्स), आगे समीक्षा के अधीन, नए ऑनबोर्ड बेड़े में निम्नलिखित अनुपात में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं :

अपनाए गए विद्युत वाहन	तीन महीने के भीतर	31 मार्च, 2023 तक
दुपहिया	10 %	50 %
चौपहिया	5 %	25 %

ix **ईंधन के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) अनिवार्य बनाने संबंधी अधिसूचना :** वाहनों के टेल पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, ***1986*** की धारा ***5*** के तहत प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा ***03.03.2022*** को जनता की टिप्पणियों / सुझावों के लिए जारी किया गया, जिसमें पेट्रोल/डीजल/सीएनजी पंपों के सभी डीलरों को निर्देश देने का प्रस्ताव है कि वे तत्काल प्रभाव से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्रस्तुत करने पर ही मोटर वाहनों को पेट्रोल/डीजल/सीएनजी बेचें/वितरित करें।

x. **यातायात प्रबंधन:** प्रमुख मार्गों पर यात्रियों के लाभ के लिए यातायात की भीड़ के दौरान शीघ्र चेतावनी प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया जाता है, ताकि मार्ग परिवर्तन सुगम बनाया जा सके। दिल्ली यातायात पुलिस ने पुलिस मुख्यालयों में एक कम्पैटबल नियंत्रण कक्ष के साथ प्रमुख यात्रा गलियारों में 50 महत्वपूर्ण स्थानों पर 3 जी कनेक्टिविटी के साथ 50 वीएमएस (वैरिएबल मैसेज साइन) बोर्ड पहले ही स्थापित कर दिए हैं। वीएमएस बोर्ड सड़क उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण यातायात संबंधी जानकारी प्रदर्शित कर रहे हैं।

xi. दिल्ली में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने और आयोग को अवगत कराने के लिए लगातार निगरानी रखने और नियमित रूप से कदम उठाने के लिए दिनांक

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

08.04.2021 के आदेश के तहत एक कार्यबल का गठन किया गया है।

xii. **अनुमोदित ईंधन अधिसूचना:** डीपीसीसी ने अनुमोदित ईंधन के बारे में 29.6.2018 को अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार केवल अनुमोदित ईंधन के उपयोग की अनुमति है।

12. **हरित दिल्ली फेलोशिप कार्यक्रम और एक प्रतिबद्ध कार्यक्रम प्रबंधन एकक (पीएमयू):** पर्यावरण विभाग ने दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पर्यावरण में सुधार के लिए हरित दिल्ली फेलोशिप कार्यक्रम के तहत 28 सदस्यों (3- विशेषज्ञ, 10- फेलो और 15- असोसिएट फेलो) की एक प्रतिबद्ध जनशक्ति टीम का गठन किया है।

13. **जीआरएपी (GRAP) आदेशों का कार्यान्वयन:** विभाग ने जीआरएपी के तहत 11.11.2021 से 31.12.2021 तक नियमित रूप से की गई कार्रवाई रिपोर्ट (हार्ड कॉपी में) सीएक्यूएम (CAQM) और सीपीसीबी (CPCB) को प्रस्तुत की। तत्पश्चात, विभाग सर्दियों के मौसम के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत निर्धारित उपायों को लागू करने के बारे में दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) 01.01.2022 से सीपीसीबी द्वारा विकसित विंड पोर्टल (WIND Portal) पर प्रस्तुत कर रहा है।

14. **पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध:** डीपीसीसी (DPCC) ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (क) के तहत दिनांक 28.09.2021 को जारी दिशा-निर्देश के तहत 01.01.2022 तक दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया था।

15. **शोर निगरानी नेटवर्क (Noise Monitoring Network) :** पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी ने हाल ही में 31 (26 नए + 5 पुराने) शोर निगरानी स्टेशनों के साथ दिल्ली में शोर निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया है।

16. **शोर सीमा-निर्धारक अधिसूचना (Noise limiter Notification):** ओ. ए. संख्या 519/2016 के अंतर्गत "हरदीप सिंह और अन्य बनाम एसडीएमसी," और "अखंड भारत मोर्चा बनाम केन्द्र सरकार और अन्य" के संदर्भ में

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

माननीय एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर 2019 को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत शोर सीमा-निर्धारक अधिसूचना जारी की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी समारोह में कोई ऐसा ऑडियो सिस्टम या पब्लिक एड्रेस सिस्टम किराये पर नहीं लिया जाएगा/संस्थापित नहीं किया जाएगा, जिसमें साउंड लिमिटर न लगाया गया हो। इसके अलावा किसी भी विनिर्माता/डीलर/दुकानदार/पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि किराये पर देने वाली एजेंसी/व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा साउंड सिस्टम बेचा/खरीदा/आपूर्ति/उपयोग नहीं किया जाएगा, जो साउंड लिमिटर रहित हो।

17. **पर्यावरण निगरानी पोर्टल:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में एक पर्यावरण निगरानी पोर्टल विकसित किया। इसका लक्ष्य सरकारी विभागों और नगर निगमों/निकायों द्वारा कुशल और त्वरित तरीके से की गई कार्रवाइयों को समन्वित करना है ताकि विभिन्न हितधारकों द्वारा फील्ड में किए गए वायु प्रदूषण शमन कार्यों का अंतिम विश्लेषण और समीक्षा की जा सके। हितधारक विभागों को उपयोगकर्ता क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दिया गया।

18. **शीतकालीन कार्य योजना (Winter Action Plan):** शीतकालीन कार्य योजना 2021-22 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था और यह एक व्यापक कार्य योजना है जिसे सभी हितधारक विभागों के परामर्श से तैयार किया गया है, जिसमें पिछले वर्षों के उपायों, माननीय न्यायालयों के निर्देशों, सीएक्यूएम (CAQM) के निर्देशों और सिविल सोसायटी ग्रुपों, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्षों से मिली सीख और पिछले वर्षों के सार को मिलाकर लक्षित उपाय शामिल हैं।

शीतकालीन कार्य योजना 2021-22 वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य स्तंभों अर्थात सड़क धूल प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट धूल नियंत्रण, खुले में जलाने, वाहन प्रदूषण नियंत्रण आदि उपायों पर केंद्रित है, जो सरकारी विभागों/नगर निगमों द्वारा लागू किए जाने और तत्संबंधी दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को भेजे जाने के आदेश दिए गए। 1 अक्टूबर

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

2021 से 28 फरवरी 2022 तक 10-सूत्री शीतकालीन कार्य योजना के लक्षित उपाय इस प्रकार थे:

i. पराली जलाने पर नियंत्रण

ii. धूल विरोधी अभियान

iii. कचरा जलाने पर रोक

iv. पटाखों पर प्रतिबंध

v. स्मॉग टावर

vi. हॉट-स्पॉट की पहचान और निगरानी

vii. ग्रीन वार रूम को सुदृढ़ बनाना

viii. ग्रीन दिल्ली ऐप का उन्नयन

ix. ई-कचरा उद्यान

x. वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण

वाहनों से होने वाले प्रदूषण आदि, को रोकने के लिए धूल नियंत्रण मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट की अवैध डंपिंग, बायोमास और ठोस कचरा जलाए जाने की घटनाओं का पता लगाने और चालान भेजने के लिए, प्रवर्तन टीमों का गठन भी किया गया।

19. क) जागरूकता अभियान और जनभागीदारी

i. **"स्विच दिल्ली" (Switch Delhi)** अभियान 04.02.2021 को शुरू किया गया था। वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.02.2021 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों/स्वायत निकायों और सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए, ई-वाहन अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य किया गया है कि वे वर्तमान में किराए पर लिए गए पेट्रोल/डीजल/सीएनजी वाहनों को लीज/किराया मॉडल के माध्यम से ईवी में परिवर्तित करे/कंडेम वाहनों के स्थान पर नए ईवी वाहन खरीदें।

ii. **वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने **18.10.2021**

Dr. CHETNA A
Senior Scientific
Departm of Envi
Govt. of Delhi

को दिल्ली के **100** महत्वपूर्ण चौराहों/रेड क्रॉसिंग पर "रेड लाइट ऑन: गाडी ऑफ" नामक जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें इन जगहों पर **2500** सीडीवी (सिविल डिफेंस वालंटियर्स) तैनात किए गए। अभियान का दूसरा चरण **19.11.2021** से शुरू हुआ और अभियान को **18.12.2021** तक बढ़ा दिया गया।

iii. **स्कूलों और कॉलेजों में इको-क्लब:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पर्यावरण के मुद्दों पर छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए "स्कूलों और कॉलेजों में इको क्लब" नाम की योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित और रक्षित किया जा सके। दिल्ली के सरकारी/ सरकार से सहायता प्राप्त/ पब्लिक/ प्राइवेट स्कूलों, एनडीएमसी स्कूल, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और दिल्ली के कॉलेज में **2000** हजार से अधिक इको-क्लब स्थापित किए गए हैं। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक इको-क्लब स्कूल और कॉलेज को **20,000** रुपये का टोकन अनुदान प्रदान किया गया है। इको-क्लबों की गतिविधियों में स्कूल/कॉलेजों के आस-पास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान, विभिन्न पर्यावरण दिवसों अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस का आयोजन और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी शामिल है।

iv. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पटाखे जलाने पर रोक लगाने के निर्देशों के बारे में विज्ञापन जारी किए गए।

v. दिवाली से पहले 31 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से माननीय मंत्री के साथ "नो टू फायर क्रैकर्स" अभियान के बारे में पर प्रतिज्ञा के साथ इको-क्लब स्कूलों/कॉलेजों की बैठकें आयोजित की गईं।

vi. आरडब्ल्यूए और इको-क्लब स्कूलों में 'युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध' विषय पर पर्चों सहित आईईसी यानी सूचना शिक्षा संचार सामग्री वितरित की गई।

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

		ख) पराली जलाने पर रोक: i. आईएआरआई (IARI) द्वारा विकसित बायो- डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी (Bio-decomposer technology) के अंतर्गत 2021 और 2022 के दौरान विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के खेतों में नि:शुल्क छिड़काव किया गया। ii. सब-डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम्स) द्वारा फसल अवशेष जलाने के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया। iii. केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। iv. पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अन्य एनसीआर राज्यों को पराली के अपघटन के लिए आईएआरआई पूसा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सलाह देने के लिए 23.11.2020 को सीएक्यूएम (CAQM) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने भी WAPCOS द्वारा संचालित पूसा प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता पर सीएक्यूएम को 16.09.2021 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। WAPCOS द्वारा आयोजित पूसा प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता पर अंतिम रिपोर्ट भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 14.11.2021 को WPC 1135/2020 "आदित्य दुबे (नाबालिग) बनाम भारत संघ और अन्य" के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। माननीय मंत्री (पर्यावरण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 07.11.2021 और 03.12.2021 को माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार को एनसीआर राज्यों द्वारा पराली जलाने और आईएआरआई बायो डीकंपोजर प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में आवश्यक हस्तक्षेप के लिए लिखा था।

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

(ङ)	दिल्ली सरकार द्वारा यमुना को कब तक स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त कर दिया जायेगा; और	दिनांक 03.12.2021 के आदेश के तहत यमुना सफाई प्रकोष्ठ (Yamuna cleaning cell) (वाईसीसी) का गठन किया गया और दिनांक 09.02.2022 के आदेश के तहत इसे पुनर्गठित किया गया। उक्त आदेशों के अनुसार, यमुना सफाई प्रकोष्ठ (वाईसीसी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई यमुना सफाई कार्य योजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। वाईसीसी को यमुना नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित 6 कार्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना है: ➢ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपीज) और विकेन्द्रीकृत सीवेज प्लांटों (डीएसटीपीज) की क्षमता बढ़ाना। ➢ 4 प्रमुख नालों की यथास्थान सफाई: यमुना नदी में गिरने वाले 4 प्रमुख नालों (नजफगढ़, सप्लिमेंटरी ड्रेन, बारापुला, शाहदरा) का स्वस्थाने उपचार/सफाई। ➢ सभी औद्योगिक कचरे को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपीज) में डायवर्ट किया जाएगा। ➢ जेजे क्लस्टर्स (675 संख्या) के ड्रेन/ड्रेनेज सिस्टम को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना। ➢ प्रत्येक परिवार को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना (सभी 1799 अनधिकृत कॉलोनियों में कनेक्शन सहित) ➢ सीवर लाइनों की गाद निकालना। यमुना सफाई प्रकोष्ठ की बैठकें नियमित रूप से साप्ताहिक आधार पर आयोजित की जाती हैं और 21.03.2022 तक 16 बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं। दिल्ली में जल प्रदूषण उद्योगों/इकाइयों के निरीक्षण और उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड, डीपीसीसी, डीएसआईआईडीसी और 3 नगर निगमों (उत्तरी डीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी) के प्रतिनिधियों की ग्यारह टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यमुना का स्वच्छ व प्रदुषण मुक्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

		1. वर्तमान में सीवेरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का अपग्रेडेशन व रिहैंबिनिटेशन करना। 2. सीवेरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता बढ़ाना व नए प्लांट स्थापित करना। 3. सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में तकनीकी संभावना जॉचने के बाद सीवर डालना। 4. विकेंद्रीय सीवेरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना। 5. इंटेसेप्टेर सीवर द्वारा नालों को ट्रेप करना। 6. मकानों के सीवर कनैक्शन को जल बोर्ड के निकट मैनहाल तक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाना। 7. सेप्टेज मेनेजमेट रेग्युलेशन 2018 को लागू करना। 8. नालों को trap करके सीवरेज सिस्टम में ले जाना। 9. यमुना क्लीनिंग सेल बनाकर यमुना की सफाई के लिए समन्वित तरीके से कार्य करना। इन कदमों के बाद व यमुना नदी में पर्याप्त पर्यावरण प्रवाह (Environment Flow) उपलब्ध होने पर यमुना का प्रदुषण कम हो जाएगा।
च)	घोंड़ा विधानसभा के यमुना खादर वन में कौन-कौन से और कितने वन्य जीव हैं, पूर्ण जानकारी दें?	वन क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगली जानवरों में नीलगाय, जंगली सुअर और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल हैं। सबसे आम पक्षी प्रजातियां हैं- Nilgai, Wild Sur and various types of Avifauna. The most common bird species are Rose ringed parakeets, Jungle babbler, Large gray babbler, Indian peafowl, Common Myna (starling), Hoopoe, Black kite, Oriental white eye, Laughing Dove, Spotted Dove, Yellow Footed green pigeon, Coppersmith barbet, Greenish warbler (rare) आदि। वन और वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास मौजूदा जंगली जानवरों की गणना नहीं है।

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Envi...
Govt. of NCT of Delhi